मुख्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
"गौरा देवी पर्यावरण भवन"
46बी, आई.टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून
E-mail : msukpcb@yahoo.com, दूरभाष: 0135-2607092

पत्रांक–यूकेपीसीबी/एच.ओ./स्था0-617-2025-362. दिनांक 27:05.2025

कार्यालय आदेश

एतत्द्वारा अध्यक्ष, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त अनुमोदन के क्रम में पर्यावरणीय मानकों के उल्लंघन के सम्बन्ध में दोषी ईकाईयों के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आरोपित करने हेतु मानक प्रचलन पद्धति अनुमोदित की गयी है, जिसकी प्रति आपकों इस आशय के साथ प्रेषित किया जा रहा है कि उक्त मानक प्रचलन पद्धति के अनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

बोर्ड मुख्यालय में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के अधिरोपण हेतु प्रस्ताव निम्न समिति के माध्यम से परिक्षण करते हुए सक्षम स्तर पर प्रेषित् किये जायेगें:–

1. श्री पी0के0 जोशी, पर्यावरण अभियन्ता
2. डा0 अंकुर कंसल, पर्यावरण अभियन्ता
3. श्री नरेश गोस्वामी, सहायक पर्यावरण अभियन्ता
4. आवश्यकतानुसार विषय विशेषज्ञ

संलग्नक:– यथोपरि।

(डा0 पराग मधुकर धकाते)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. अध्यक्ष, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सादर सूचनार्थ प्रेषित्।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बोर्ड मुख्यालय, देहरादून।
3. समस्त अभियन्ता/अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बोर्ड मुख्यालय, देहरादून।
4. समस्त क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून/काशीपुर/हल्द्वानी/रूड़की।
5. गार्ड फाईल।

सदस्य सचिव

HEAD OFFICE
Uttarakhand Pollution Control Board
"Gaura Devi Paryavaran Bhawan"
46B, IT Park, Sahastradhara Road, Dehra Dun
E-mail : msukpcb@yahoo.com, Phone No.-0135-2607092

पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आरोपित किये जाने हेतु मानक प्रचलन पद्धति

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा मूल आवेदन सं0–593/2017 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दोषी इकइयों के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आरोपित करने के उद्देश्य से निम्नानुसार आदेश निर्गत किये गये है:– "to take penal action for failure, if any, against those accountable for setting up and maintaining STPs, CETPs and ETPs. CPCB may also assess and recover compensation for damage to the environment"

इस सम्बन्ध में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निम्न प्रकार के पर्यावरणीय उल्लंघन के प्रकरणों पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आरोपित करने के लिए रिपोर्ट तैयार की गई है :–

a) Discharges/emissions in violation of consent conditions, mainly prescribed standards/ consent limits.
b) Not complying with the directions issued, such as direction for closure due to non-installation of OCEMS, non-adherence to the action plans submitted etc.
c) Intentional avoidance of data submission or data manipulation by tampering the Online Continuous Emission / Effluent Monitoring systems.
d) Accidental discharges lasting for short durations resulting into damage to the environment.
e) Intentional discharges to the environment - land, water and air resulting into acute injury or damage to the environment.
f) Injection of treated/partially treated/ untreated effluents to ground water.

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उपरोक्त रिपोर्ट में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु विभिन्न कारकों को आंकलन हेतु सम्मिलित किया गया है। उपरोक्त रिपोर्ट को बोर्ड की 23वीं बैठक दिनांक 29.11.2019 में कतिपय संशोधनों के साथ अंगीकृत किया गया है। बोर्ड द्वारा अनुमोदित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति प्रस्ताव प्रति **संलग्नक–1** पर अवलोकनीय है। पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आरोपित करने हेतु व इस प्रकार के प्रकरणों में एकरूपता लाने हेतु मानक प्रचलन पद्धति की आवश्यकता है जिसको निम्नवत उल्लेखित किया जा रहा है–

1. पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के घटकों के निर्धारण के सम्बन्ध में अपनायी जाने वाली मानक प्रचलन पद्धति।

<table>
<tr>
<td>Criteria Adopted by UKPCB
EC= PIxNxRxSxLFxVF</td>
<td>पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के विभिन्न कारकों हेतु अपनायी जाने वाली मानक प्रचलन पद्धति।</td>
</tr>
<tr>
<td>Pollution Index Factor (PI)

It is observed that the Pollution Index is combination of Air, Water and Hazardous which consist 40% part of Air, 40% part of Water and 20% part of hazardous. Also, the value to PI be calculated on average value of PI as given by CPB. In this context, value of PI should be taken based on violation of the particular Act/Rule, which may be as follows: -

<table>
<tr><td>Category</td><td>PI for Air (A)</td><td>PI for Water (B)</td><td>PI for Haz (C)</td></tr>
<tr><td>Red</td><td>32</td><td>32</td><td>16</td></tr>
<tr><td>Orange</td><td>20</td><td>20</td><td>10</td></tr>
<tr><td>Green</td><td>12</td><td>12</td><td>06</td></tr>
</table>
Value of PI = A+B+C</td>
<td>Pollution Index एक ऐसा इन्डैक्स है जिसमें जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण एवं हजार्डज़ वेस्ट को अलग–अलग वेटेज देते हुए किसी प्रक्रिया का पॉल्यूशन इन्डैक्स आंकलित किया जाता है।

बोर्ड द्वारा किसी भी मामले में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के निर्धारण में जिस प्रकार का उल्लंघन पाया जायेगा उसी श्रेणी का पॉल्यूशन इन्डैक्स की वैल्यू फार्मूला में रखी जायेगी। उदाहरण के रूप में यदि किसी उद्योग में मात्र जल प्रदूषण ही पाया जाता है एवं यह उद्योग लाल श्रेणी में है तो पॉल्यूशन इन्डैक्स की वैल्यू 32 ली जायेगी। इसी प्रकार किसी अन्य उद्योग में जल प्रदूषण एवं हजार्डज़ वेस्ट का उल्लंघन पाया जाता है एवं उद्योग नारंगी श्रेणी में है तो पॉल्यूशन इन्डैक्स की वैल्यू 20+10=30 ली जायेगी। यदि किसी श्रेणी के उद्योग में तीनों प्रकार का वॉयलेशन मिलता है तो पॉल्यूशन इन्डैक्स की कुल वैल्यू (A+B+C) जैसा कि तालिका में अंकित है ली जायेगी।</td>
</tr>
<tr>
<td>Number of Days (N)

1. Number of days for which violation took place is the period between the day of violation observed/due date of direction's compliance and the day of compliance verified by CPCB/SPCB/PCC.

2. First violation cycle means: - Date of inspection on which violation reported to the period until the noncompliance have been rectified. These number of days will be considered for First cycle of EC.
3. Second Violation means: - After fist violation during the opportunity of time to rectify default, if unit again found not complied then</td>
<td>केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शिका में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति में duration of violation in terms of number of days अंकित है तथा यह भी अंकित है कि "Number of days for which violation took place, is the period between the days of violation observed/due date of direction's compliance and the day of compliance verified by CPCB/SPCB".

बोड द्वारा उक्त स्टेटमेन्ट को यथावत अपनाया गया है। जबकि बोर्ड के प्रस्ताव में deterrent effect of Environment compensation के column में First Violation Cycle के सम्बन्ध में निम्नानुसार निर्णय लिया गया है:–

First Violation Cycle, date of inspection on which violation reported to the period until the non-compliance have been rectified. These numbers of days will be considered for first cycle of Environment Compensation.</td>
</tr>
</table>

second cycle of EC will start and so on. Default also includes non-compliance of closure directions	**<u>पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु उल्लंघन के दिवसों का आंकलन</u>** • **<u>उल्लंघन प्रारम्भ होने का दिवस</u>** **क)** यदि क्षेत्रीय कार्यालय/बोर्ड मुख्यालय द्वारा समय-समय पर किये गये निरीक्षणों, जिस भी समय/निरीक्षण के दिवस पर पर्यावरणीय मानकों के उल्लंघन पाया जाता है, तब वही दिवस प्रथम उल्लंघन दिवस के रूप में मानते हुये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आंकलन किया जायेगा। *परन्तु यदि ऐसा पाया जाता है कि **उद्योग द्वारा मानकों का उल्लंघन किया जा रहा है व उद्योग द्वारा सहमति भी प्राप्त नहीं है/सहमति हेतु आवेदन भी नहीं किया गया है**, ऐसी दशा में उद्योग की सहमति वैद्यता अवधि समाप्ति के अगले कार्य दिवस से अथवा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति सम्बन्धी प्रस्ताव पर राज्य बोर्ड के अनुमोदन जो भी बाद में होगा के अनुसार उल्लंघन का प्रथम दिवस माना जायेगा।* *परन्तु ऐसे उद्योग जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से **बिना संचालनार्थ सहमति के संचालित हैं एवं न ही उनके द्वारा सहमति हेतु आवेदन किया गया है परन्तु इन उद्योगों से किसी भी प्रकार के जल प्रदूषण अथवा वायु प्रदूषण अथवा हर्जाडिज़ वेस्ट कुप्रबन्धन की पुष्टि नहीं होती है अर्थात मानकों के उल्लंघन की पुष्टि नहीं होती है**, ऐसे प्रकरणों में उपरोक्त संदर्भित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आरोपित न करते हुए उद्योग के विरूद्ध जल/वायु अधिनियम की धाराओं में कारण बताओ नोटिस की कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी। यदि उद्योग द्वारा कारण बताओ नोटिस निर्गत होने के बावजूद भी उक्त का अनुपालन नहीं किया जाता है तो उद्योग के विरूद्ध उल्लेखित व्यवस्थाओं के अंतर्गत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आंकलन किया जायेगा। ऐसी दशा में उद्योग की सहमति वैद्यता अवधि समाप्ति के अगले कार्य दिवस से अथवा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति सम्बन्धी प्रस्ताव पर राज्य बोर्ड के अनुमोदन जो भी बाद में होगा के अनुसार उल्लंघन का प्रथम दिवस माना जायेगा। परन्तु यदि उद्योग द्वारा सहमति हेतु आवेदन कर दिया जाता है तो उद्योग के सहमति शुल्क के साथ ब्याज की व्यवस्था जैसा कि बोर्ड की 17वीं बैठक में निर्णित है के अनुसार कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी।* ख) किसी ईकाई/संस्था/परियोजना के विरूद्ध पर्यावरणीय मानकों उल्लंघन की शिकायत प्राप्त होने के पश्चात् सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय टीम द्वारा

	अधिकतम 10 दिनों में क्षेत्र भ्रमण करते हुये शिकायत के सम्बन्ध में verification किया जायेगा एवं यदि निरीक्षण के द्वौरान शिकायतकर्ता द्वारा उठाये गये बिन्दुओं की पुष्टि होती है तो संस्था/ईकाई/परियोजना इत्यादि के विरूद्ध कार्यालय में शिकायत प्राप्त होने की दिनांक को प्रथम उल्लंघन दिवस मानते हुये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आंकलन किया जायेगा। यह स्पष्ट रूप से उल्लेखनीय है कि ऐसी स्थिति में शिकायत प्राप्त होने का दिवस अर्थात उल्लंघन प्रारम्भ होने का दिवस वह दिवस होगा जिस दिवस पर शिकायत बोर्ड मुख्यालय अथवा क्षेत्रीय कार्यालय जहाँ पर भी पहले प्राप्त हुई हो। • **उल्लंघन का अन्तिम दिवस** क) यदि क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा Compliance Verification के सम्बन्ध में उद्योग/इकाई द्वारा उनको निर्गत निर्देशों के क्रम में उनके द्वारा प्रेषित **Compliance Report सही पायी जाती है तो Compliance Report प्रेषण दिनांक को उल्लंघन का अन्तिम दिवस मानते हुये N factor की गणना करते हुये पर्यावणीय क्षतिपूर्ति का आंकलन किया जायेगा।** ख) यदि क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा Compliance Verification के सम्बन्ध में उद्योग/इकाई द्वारा उनको निर्गत निर्देशों के क्रम में उनके द्वारा प्रेषित Compliance Report में उल्लेखित तथ्य गलत पाये जाते हैं व उद्योग **अनुपालन में नहीं पाया जाता** है तो क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा किये गये **निरीक्षण के दिनांक तक की अवधि को प्रथम चरण की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का अन्तिम दिवस मानते हुये N factor की गणना कर पर्यावणीय क्षतिपूर्ति का आंकलन किया जायेगा।** ग) अग्रेतर उक्त बिन्दु सं0–ख पर किये गये **निरीक्षण की अगली दिनांक से द्वितीय चरण की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना प्रारम्भ हो जायेगी। अर्थात् उक्त निरीक्षण के अगले दिवस को पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के द्वितीय चरण के आंकलन हेतु प्रथम दिवस माना जायेगा।** उक्त हेतु Compliance Verification की प्रक्रिया पृथक से दी जा रही है।
Rupee factor (R) Value of Rupee factor is 100/-	यह एक फिक्स वैरियेबल है। अतः इस फैक्टर हेतु एस.ओ.पी. की आवश्यकता नहीं है।

<table>
<tr>
<td>Scale factor (S) could be based on small/medium/large industry categorization, which may be 0.5 for micro or small, 1.0 for medium and 1.5 for large units.</td>
<td>उद्योगों के लघु माध्यम एवं दीर्घ श्रेणी का निर्धारण एम.एस.एम.ई. एक्ट में दी गयी व्यवस्था के अनुसार लिया जायेगा। इस फैक्टर की निर्धारण व पुष्टि हेतु एम.एस.एम.ई. प्रमाण पत्र अथवा ऐसा कोई प्रपत्र जिससे कि उद्योग के उपरोक्तानुसार स्केल की पुष्टि हो सके प्राप्त करते हुए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आरोपित की जाने वाली रिपोर्ट/संस्तुति के साथ संलग्न किया जायेगा एवं उक्तानुसार ही पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के फार्मूला में स्केल फैक्टर की वैल्यू अंकित की जायेगी।</td>
</tr>
<tr>
<td>Location factor (LF), could be based on population of the city/town and location of the industrial unit. For the industrial unit located within municipal boundary or up to 10 km distance from the municipal boundary of the city/town, following factors (LF) may be used:
<table>
<tr><th>S. No.</th><th>Population (in Million) *</th><th>Location Factor#</th></tr>
<tr><td>1</td><td>1to <5</td><td>1.25</td></tr>
<tr><td>2</td><td>5 to <10</td><td>1.5</td></tr>
<tr><td>3</td><td>10 and above</td><td>2.0</td></tr>
</table>
Population of the city/town as per the latest Census of India
#LF will be 1.0 in case unit is located >10km from municipal boundary
LF is presumed as 1 for city/town having population less than one million.
For notified Ecologically Sensitive areas, for beginning, LF may be assumed as 2.0</td>
<td>यह एक फिक्स वैरियेबल है। अतः इस फैक्टर हेतु एस.ओ.पी. की आवश्यकता नहीं है।

फिर भी यदि कोई उद्योग notified Ecologically Sensitive areas में आच्छादित है तो लोकेशन फैक्टर की वेल्यू 2.0 जैसा कि उल्लेखित भी है ली जायेगी। इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि कोई उद्योग जिसपर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आरोपित की जानी प्रस्तावित है, इको सैन्सिटव ज़ोन, दून घाटी एरिया, संरक्षित एरिया में आच्छादित है तो ऐसे प्रकरणों के सम्बन्ध में लोकेशन फैक्ट की वैल्यू 2.0 अंकित करते हुए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आंकलन किया जायेगा।</td>
</tr>
<tr>
<td>Violation Factor (VF):

VF is introduced by UKPCB. Values of VF is as follows:-
i. If the unit is having adequate Treatment facility, which is operational but due to some technical fault, it is not working properly and values of prescribed parameters found exceeded then VF will be 1.0
ii. If the unit is not having adequate facility for treatment</td>
<td>यह फैक्टर Self Explanatory है। उद्योग में पाये गये विभिन्न प्रकार के उल्लंघनों के सापेक्ष वॉयलेशन फैक्टर की वैल्यू पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के फार्मूला में अंकित की जायेगी।

ऐसे उद्योग जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से बिना संचालनार्थ सहमति के संचालित हैं एवं न ही उनके द्वारा सहमति हेतु आवेदन किया गया है परन्तु इन उद्योगों से किसी भी प्रकार के वॉयलेशन यथा जल/वायु/हर्जाडस वेस्ट के मानकों के उल्लंघन की पुष्टि नहीं होती है, ऐसे प्रकरणों पर उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति</td>
</tr>
</table>

of pollution then ***VF will be 1.25*** ii. If unit is having facility but unit is found by-passing full or part of the pollution then ***VF will be 1.5*** v. If the unit is not having pollution control facilities then ***VF will be 2.0*** v. If the unit is neither having valid Consent to Operate nor applied for the same and in operation with any default (i to iv) then ***VF will be 0.5 + value of VF for point i to iv.***	का फार्मूला लागू नहीं होगा। इस प्रकार के प्रकरणों अपनायी जाने वाली प्रक्रिया की व्यवस्था पृथक से दी जा रही है।

2. पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आरोपित करने से पूर्व अपनाई जाने वाली प्रक्रिया हेतु मानक प्रचलन पद्धति।

- किसी ईकाई/संस्था/परियोजना के विरूद्ध पर्यावरणीय मानकों उल्लंघन की शिकायत प्राप्त होने पर यदि शिकायत मुख्यालय में प्राप्त हो रही है तो उसे 05 कार्य दिवसों में सम्बन्धित क्षेत्रीय अधिकारी को अंतरित किया जायेगा। यदि शिकायत सीधे क्षेत्रीय अधिकारी स्तर पर प्राप्त हो रही है तो क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा इसपर कार्यवाही की जायेगी।
- क्षेत्रीय कार्यालय में शिकायत प्राप्त होने के पश्चात् (मुख्यालय स्तर से प्राप्त होने की स्थिति में या सीधे क्षेत्रीय कार्यालय में प्राप्त होने की स्थिति में) शिकायत का निरीक्षण या तो स्वयं क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा किया जायेगा अथवा उक्त हेतु यथोचित अधिनस्थ कार्मिक के माध्यम से निरीक्षण कराया जायेगा।
- उक्त आख्या में शिकायत से सम्बन्धित बिन्दुओं का यथोचित परीक्षण व शिकायत के बिन्दुओं की पुष्टि हेतु समूचित अभिलेख जैसे कि:– वांछित रिकॉर्ड, फोटोग्राफ, यथा–आवश्यक वीडियोंग्राफ, सैम्पल रिपोर्ट इत्यादि जैसा कि सम्बन्धित शिकायत के बिन्दु की पुष्टि हेतु आवश्यक हो, को रिपोर्ट के साथ साक्ष्य के रूप में संलग्न किया जायेगा।
- शिकायत का निरीक्षण* या तो स्वयं क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा किया जायेगा अथवा उक्त हेतु यथोचित अधिनस्थ कार्मिक के माध्यम से निरीक्षण कराया जायेगा।
- निरीक्षणकर्ता द्वारा शिकयात की जांच के समय जांच स्थल पर उपलब्ध उद्योग/परिसर के स्वामी/प्रतिनिधि को on-site Inspection Note जारी किया जायेगा जिसमें उपरोक्त स्वामी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर लिए जायेंगे। स्वामी/प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षर न करने की दशा में

निरीक्षणकर्ता द्वारा **on-site Inspection Note** की प्रति उद्योग/परिसर पर चस्पा की जायेगी जिसकी Geotagged फोटोग्राफ साक्ष्य के रूप में निरीक्षण आख्या के साथ संलग्न की जायेगी।

- on-site Inspection Note में यह भी निर्दिष्ट किया जायेगा कि ईकाई द्वारा अंकित बिन्दुओं पर तत्काल रूप से सुधारात्मक कार्यवाही की जाये।
- निरीक्षण के दौरान शिकायतकर्ता द्वारा उठाये गये बिन्दुओं की पुष्टि होने पर संस्था/ईकाई/परियोजना इत्यादि के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आरोपित करने की संस्तुति की जायेगी।
- यदि शिकायतकर्ता द्वारा उठाये गये बिन्दु की पुष्टि निरीक्षण के दौरान नहीं होती है, तो पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आरोपित करने की आवश्यकता नहीं होगी। यद्यपि इस सम्बन्ध में भी विस्तृत आख्या मुख्यालय को प्रेषित की जायेगी।
- शिकायतों के अतिरिक्त भी बोर्ड मुख्यालय अथवा क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा किये जाने वाले निरीक्षणों में यदि पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन, बोर्ड द्वारा निर्देशों का उल्लंघन, सहमति शर्तों, पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में भी पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आंकलित की जायेगी।
- निरीक्षण आख्या में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के घटकों का विवरण अंकित किया जायेगा।
- निरीक्षण के 10 दिनों के अन्दर विस्तृत निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय को ई–मेल के माध्यम से प्रेषित् की जायेगी। इस आख्या में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आरोपित करने वाले कारकों का विवरण आवश्यक रूप से सम्मिलित होगा तथा non-compliance के सम्बन्ध में उठाये गये बिन्दुओं की पुष्टि हेतु साक्ष्य के रूप में आवश्यक प्रपत्र, sample report विडियोग्राफी, फोटोग्राफी व अन्य प्रपत्र संलग्न कर प्रेषित् किये जायेगें।
- बोर्ड मुख्यालय में उपरोक्तानुसार निरीक्षण आख्या प्राप्त होने के पश्चात् आगामी 07 दिनों में प्रकरण पर प्रस्तावित कार्यवाही हेतु सक्षम स्तर के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

3. Compliance Verification हेतु अपनायी जाने वाली प्रक्रिया की मानक प्रचलन पद्धति।

- **उद्योग पर आरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति व अन्य निर्देशों के सम्बन्ध में उनके स्तर से प्राप्त होने वाली अनुपालन आख्या indicative न होकर comprehensive होनी आवश्यक है**, जिसमें

compliance किये जाने वाले बिन्दुओं/निर्देशों का विस्तृत विवरण तथा इससे सम्बन्धित साक्ष्य जैसे कि विडियोग्राफी/फोटोग्राफी/प्रदूषण सुधार व्यवस्था इत्यादि मद में किये गये व्यय के प्रमाण व अन्य प्रपत्र जैसा कि सम्बन्धित निर्देशों के अनुपालन हेतु आवश्यक हो, उपलब्ध कराये जायेगें। बिना सक्ष्यों के उपलब्ध करायी गयी अनुपालन आख्या आधारहीन मानी जायेगी।

- उपरोक्तानुसार सक्ष्यों सहित उद्योग से Compliance Report प्राप्त होने के पश्चात् **क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ यथोचित सक्षम कार्मिकों के माध्यम से 05 कार्यदिवसों** मे स्थल निरीक्षण करते हुये **10 कार्यदिवसों** के अन्दर (including 05 days taken for inspection) Compliance verification Report तैयार की जायेगी व आगामी **10 कार्यदिवसों** में यह आख्या बोर्ड मुख्यालय को **ई–मेल के माध्यम से** प्रेषित् की जायेगी।
- यदि उद्योग अथवा इकाई जिसके विरूद्ध पर्यावरणीय मानकों के उल्लंघन के सम्बन्ध में पर्यावरणीय अधिनियमों की सुसंगत धाराओं में निर्देश निर्गत हैं तथा उक्त उद्योग/इकाई द्वारा उपरोक्त निर्देशों में दी गई समय–सीमा के अन्तर्गत Compliance Report प्रेषित नहीं की जाती है तो ऐसी स्थिति में निर्देशों के अन्तर्गत दी गई समय–सीमा समाप्ति के पश्चात **10 कार्यदिवसों** के अन्दर **क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा अथवा अपने अधीनस्थ यथोचित सक्षम कार्मिकों के माध्यम से** स्थल निरीक्षण करते हुये Compliance verification Report तैयार की जायेगी व उपरोक्त समयसीमा मे यह आख्या बोर्ड मुख्यालय को **ई–मेल के माध्यम से** प्रेषित् की जायेगी।
- यदि क्षेत्रीय अधिकारी या उनके अधीनस्थ कार्मिक द्वारा निर्धारित अवधि में स्थल निरीक्षण नहीं किया जाता है तो क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा **विलम्ब के समुचित आधार/स्पष्टिकरण के साथ आख्या** बोर्ड मुख्यालय को प्रस्तुत की जायेगी। विलम्ब से प्राप्त होने वाले निरीक्षण आख्यायें यदि बिना किसी आधार/स्पष्टीकरण के प्राप्त होती हैं तो किसी भी कार्यवाही हेतु क्षेत्रीय अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होगें।
- बोर्ड मुख्यालय में उपरोक्तानुसार निरीक्षण आख्या प्राप्त होने के पश्चात् आगामी 07 दिनों में प्रकरण पर प्रस्तावित कार्यवाही हेतु सक्षम स्तर के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

4– पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि जमा न करने वाली इकाइयों से वसूली के सम्बन्ध में व्यवस्था।

- पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति जारी करते समय उद्योग/इकाई को 30 दिन का समय दिया जायेगा तथा यह निर्देशित होगा कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के पत्र जारी होने की दिनांक से 30 दिन की अवधि तक पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति जामा करा दी जाये।
- उक्त अवधि तक पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि जमा न कराये जाने पर बोर्ड द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूति की धनराशि जमा कराये जाने हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति जारी करने की दिनांक के 45 दिन से 60 दिन के अन्दर उद्योग/इकाई को अनुस्मारक प्रेषित किया जायेगा जिसमें पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि 15 दिनो मे जमा कराने हेतु निर्देश निर्गत होगा।
- पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु निर्गत किये गए प्रथम निर्देश के दिनांक के 90 दिनो के अन्दर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि प्राप्त न होने पर उक्त धनराशि की वसूली करने हेतु सम्बन्धित क्षेत्र के जिलाधिकारी को उक्त धनराशि की वसूली भू-राजस्व कानून की भाँति वसूल करने हेतु लिखा जायेगा।

बोर्ड की 17वीं बैठक दिनांक 27.10.2014 में बिना स्थापनार्थ/संचालनार्थ सहमति के संचालित उद्योगों पर कार्रवाई के सम्बन्ध में कार्यालय ज्ञाप सं0 7500–1982, दिनांक 02.02.2015 (संलग्नक–02) निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

"(1) स्थापनार्थ सहमति न लेने वाले स्थापित उद्योगों की पर्यावरणीय दृष्टि से स्थल उपयुक्त होने एवं सभी प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएँ स्थापित होने की दशा में प्रारम्भिक शुल्क तथा उत्पादन की तिथि से एक वर्ष पूर्व से प्रारम्भिक शुल्क पर 10.00 प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से आवेदन करना होगा। शुल्क की दर, यदि इस बीच बढ़ी हो, तो नवीनतम दर पर आगणन किया जायेगा। उक्तानुसार आवेदन प्राप्त होने पर ही बोर्ड द्वारा प्रकरण पर विचार किया जायेगा। उद्योगों को जल/वायु सहमति एवं प्राधिकार संयुक्त रूप से सी0टी0ई0–सी0सी0ए0 निर्गत किया जायेगा।

(2) संचालनार्थ सहमति प्राप्त किये बिना संचालित उद्योगों को संचालन की तिथि से प्रत्येक वर्ष का प्रारम्भिक शुल्क सहित 10.0 प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज के साथ आवेदन करना होगा। शुल्क की दर यदि इस बीच बढ़ी हो, जो नवीनतम दर पर आगणन किया जायेगा। तदोउपरान्त बोर्ड द्वारा सहमति निर्गत की जाएगी। किन्तु हरित श्रेणी के उद्योगों पर मात्र 10.00 प्रतिशत साधारण ब्याज *लिये जाने का निर्णय लिया गया।"*

बोर्ड के निर्णय के क्रम में उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप को पत्र सं0 9970–1932, दिनांक 21.03.2016 के माध्यम निम्नानुसार संशोधित किया गया है:– *"जिन उद्योगों के द्वारा स्थापनार्थ सहमति/संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त सहमति रिन्यूवल हेतु 01–02 एवं अधिक वर्षों के उपरान्त सहमति हेतु आवेदन किया जाता है उन उद्योगों पर renewal fees के आधार पर शुल्क लिया जाये। उद्योगों की consent to operate/consent renewal किसी कारण से होने की दशा में उद्योगों को प्रथम वर्ष की प्रारम्भिक शुल्क एवं तदोपरान्त renewal शुल्क जमा करना होगा।"* **(संलग्नक–03)**

दृष्टांत उदाहरण के साथ उपरोक्त आदेश के क्रियान्वयन को निम्नानुसार समझा जा सकता है:–

यदि एक उद्योग के पास दिनांक 31.03.2021 तक की संचालनार्थ सहमति है एवं वह वर्ष 2023–24 में किसी भी माह में सहमति हेतु आवेदन करता है तो सहमति शुल्क का आंकलन हेतु यदि उद्योग लाल अथवा नारंगी श्रेणी में है तो वर्ष 2021–22, वर्ष 2022–23 व वर्ष 2023–24 के सहमति नवीनीकरण शुल्क पर 10 प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज लिया जाता है। परन्तु हरित श्रेणी के प्रकरण में 10 प्रतिशत साधारण ब्याज लिया जाता है।

यदि प्रति वर्ष सहमति नवीनीकरण शुल्क रु0 x/– प्रतिवर्ष है, तो

- वर्ष 2021–22 के सहमति शुल्क रु0 x/–पर 02 वर्ष का compound Interest/simple Interest
- वर्ष 2022–23 के सहमति शुल्करु0 x/–पर 01 वर्ष का compound Interest/simple Interest
- वर्ष 2023–24 के सहमति शुल्करु0 x/–पर कोई ब्याज नहीं।

HEAD OFFICE

UTTARAKHAND ENVIRONMENT PROTECTION & POLLUTION CONTROL BOARD
Gauradevi Parayavaran Bhawan
46-B, SIDCUL, IT Park, Sahashtradhara Road
DEHRADUN (Uttarakhand)

उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
गौरादेवी पर्यावरण भवन
46–बी, सिडकुल, आई.टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड,
देहरादून(उत्तराखण्ड)

Web: www.ueppcb.uk.gov.in

कार्यालय आदेश

एतद्द्वारा राज्य बोर्ड की 23वीं बैठक दिनांक 29.11.2019 में प्रस्तावित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध में पुनरीक्षित प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। जिसकी प्रति संलग्नक 01 पर संलग्न है।

इसके अतिरिक्त बोर्ड की 22वीं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के अनुपालन न होने पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तैयार की गयी दिशा-निर्देश के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आगणन किया जाय। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तैयार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आंगणन हेतु विस्तृत फार्मूला संलग्नक 02 पर संलग्न है।

इस सम्बन्ध में बोर्ड के सभी अधिकारियों एवं क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है की उपरोक्त निर्णय के अनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू समझा जाये।

(एस0 पी0 सुबुद्धि)
सदस्य सचिव

OFFICE COPY

यूईपीपीसीबी/एच.ओ./ सा0-06-23वीं बो0 बै0/ /2019/ 9366-1570 दिनांक 21 .12.2019

प्रतिलिपि :-

1. वित्त नियंत्रक, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (तकनीकी), उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वैज्ञानिक), उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. श्री पी0 के0 जोशी, पर्यावरण अभियंता /डा0 अंकुर कंसल, पर्यावरण अभियंता/श्री एस0 पी0 सिंह, पर्यावरण अभियंता/डा0 डी0 के0 जोशी, वैज्ञानिक अधिकारी उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून/रुड़की/काशीपुर/हल्द्वानी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. गार्ड फाईल।

21.12.19
मुख्य पर्यावरण अधिकारी(प्रशा0)

OFFICE COPY

As per decision taken in the 22nd Board meeting dated 22.08.2019, revised document on Environment compensation is to be made. Accordingly, the revised document is as follows:-

Environment Compensation to be levied on Defaulting UnitsNot complying with the Environmental Norms

The Hon'ble National Green Tribunal (NGT), Principal Bench in the matter of OA No. 593/2017 (WP (CIVIL) No. 375/2012, Paryavaran Suraksha Samiti &Anr. Vs. Union of India &Ors. directed Central Pollution Control Board (CPCB) that:

"The CPCB may take penal action for failure, if any, against those accountable for setting up and maintaining STPs, CETPs and ETPs. CPCB may also assess and recover compensation for damage to the environment and said fund may be kept in a separate account and utilized in terms of an action plan for protection of the environment. Such action plan may be prepared by the CPCB within three months" ***(Flag-1).***

In this context, CPCB has prepared a document on the same considering inputs from their Regional Directors and Expert Groups (**Flag-2**).

Below is the list of cases considered for levying Environmental Compensation (EC):

a) Discharges/emissions in violation of consent conditions, mainly prescribed standards / consent limits.

b) Not complying with the directions issued, such as direction for closure due to non-installation of OCEMS, non-adherence to the action plans submitted etc.

c) Intentional avoidance of data submission or data manipulation by tampering the Online Continuous Emission / Effluent Monitoring systems.

d) Accidental discharges lasting for short durations resulting into damage to the environment.

e) Intentional discharges to the environment -- land, water and air resulting into acute injury or damage to the environment.

f) Injection of treated/partially treated/ untreated effluents to ground water.

As per CPCB document, in the instances as mentioned at ***a, b and c*** **above,** Pollution Index may be used as a basis to levy the Environmental Compensation. This is to mention that CPCB has published guidelines for categorization of industries into Red, Orange, Green and White based on concept of Pollution Index (PI). The Pollution Index is arrived after considering quantity & quality of emissions/ effluents generated types of hazardous wastes

generated and consumption of resources. Pollution Index of an industrial sector is a numerical number in the range of 0 to 100 and can be represented as follows:

PI = *f* (Water Pollution Score, Air Pollution Score & HW Generation Score)

*Pollution Ind*ex is a number from 0 to 100 and increasing value of PI denotes the increasing degree of pollution *hazard from the industrial sector.*

CPCB has issued directions to all SPCBs/PCCs on 07.03.2016 to adopt the methodology and follow guidelines prepared by CPCB for categorization of industrial sectors into Red, Orange, Green and White. **Uttarakhand Environment Protection has adopted the said categorization of industries based on pollution index.**

After considering various factors including the policy implementation issues, CPCB has come up with following formula for levying the Environmental Compensation in instances as mentioned at a, b and c including non-compliance of the environmental standards / violation of directions.

The Environmental Compensation shall be based on the following formula:

$$EC = PI \times N \times R \times S \times LF$$

Where,
EC is Environmental Compensation in ₹
PI = Pollution Index of industrial sector
N = Number of days of violation took place
R = A factor in Rupees (₹) for EC
S = Factor for scale of operation
LF = Location factor

The table below provide the CPCB criteria for taking values of various factors in the formula and proposed values to be taken by UEPPCB for levying Environment Compensation.

CPCB Criteria for taking values of various factors	**Proposed values by UEPPCB**
Formula $EC = PI \times N \times R \times S \times LF$	$EC = PI \times N \times R \times S \times LF \times VF$
The industrial sectors have been categorized into Red, Orange and Green, based on their Pollution Index in the range of 60 to 100, 41 to 59 and 21 to 40, respectively. It was suggested that the average pollution index of 80, 50 and 30 may be taken for calculating the Environmental Compensation for Red, Orange and Green categories of industries, respectively.	It is observed that the Pollution Index is combination of Air, Water and Hazardous which consist 40% part of Air, 40% part of Water and 20% part of hazardous. Also, the value to PI be calculated on average value of PI as given by CPB. In this context, value of PI should be taken based on violation of the particular Act/Rule, which may be as follows: -

Category	PI for Air	PI for Water	PI for Haz
	A	B	C
Red	32	32	16

<table>
<tr><td></td><td><table><tr><td>Orange</td><td>20</td><td>20</td><td>10</td></tr><tr><td>Green</td><td>12</td><td>12</td><td>06</td></tr></table>Value of PI = A+B+C</td></tr>
<tr><td>N, number of days for which violation took place is the period between the day of violation observed/due date of direction's compliance and the day of compliance verified by CPCB/SPCB/PCC.</td><td>It is accepted by UEPPCB as such.</td></tr>
<tr><td>R is a factor in Rupees, which may be a minimum of 100 and maximum of 500. It is suggested to consider R as 250, as the Environmental Compensation in cases of violation.</td><td>It is proposed that the Value of Rupee factor is 100/-</td></tr>
<tr><td>S could be based on small/medium/large industry categorization, which may be 0.5 for micro or small, 1.0 for medium and 1.5 for large units.</td><td>It is accepted by UEPPCB as such.</td></tr>
<tr><td>LF, could be based on population of the city/town and location of the industrial unit. For the industrial unit located within municipal boundary or up to 10 km distance from the municipal boundary of the city/town, following factors (LF) may be used:
<table>
<tr><th>S. No.</th><th>Population* (million)</th><th>Location Factor# (LF)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>1 to <5</td><td>1.25</td></tr>
<tr><td>2</td><td>5 to <10</td><td>1.5</td></tr>
<tr><td>3</td><td>10 and above</td><td>2.0</td></tr>
</table>
*Population of the city/town as per the latest Census of India
#LF will be 1.0 in case unit is located >10km from municipal boundary
LF is presumed as 1 for city/town having population less than one million.
For notified Ecologically Sensitive areas, for beginning, LF may be assumed as 2.0.</td><td>It is accepted by UEPPCB as such.</td></tr>
<tr><td>Violation Factor: Not given by CPCB</td><td>It is proposed to add a new factor called Violation Factor(VF). This maty be taken as follows: -
i. If the unit is having adequate Treatment facility, which is operational but due to some technical fault, it is not working properly and values of prescribed</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>parameters found exceeded then VF will be 1.0
ii. If the unit is not having adequate facility for treatment of pollution then VF will be 1.25
iii. If unit is having facility but unit is found by-passing full or part of the pollution then VF will be 1.5
iv. If the unit is not having pollution control facilities then VF will be 2.0
v. If the unit is neither having valid Consent to Operate nor applied for the same and in operation with any default (i to iv) then VF will be 0.5 + value of VF for point i to iv.</td></tr>
<tr><td>In any case, minimum Environmental Compensation shall be ₹ 5000/day.</td><td>Calculated Minimum EC
<table><tr><td></td><td>Air</td><td>Water</td><td>Haz</td></tr><tr><td>Red</td><td>2400</td><td>2400</td><td>1200</td></tr><tr><td>Orange</td><td>1500</td><td>1500</td><td>750</td></tr><tr><td>Green</td><td>900</td><td>900</td><td>450</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>In order to include deterrent effect for repeated violations, EC may be increased on exponential basis, i.e. by 2 times on 1st repetition, 4 times on 2nd repetition and 8 times on further repetitions.</td><td>It is accepted by UEPPCB as such
First violation cycle means:- Date of inspection on which violation reported to the period until the noncompliance have been rectified. These number of days will be considered for First cycle of EC.
Second Violation means:- After fist violation during the opportunity of time to rectify default, if unit again found not complied then second cycle of EC will start and so on.
Default also includes non-compliance of closure directions.</td></tr>
<tr><td>If the operations of the industry are inevitable and violator continues its operations beyond 3 months then for deterrent compensation, EC may be increased by 2, 4 and 8 times for 2nd, 3rd and 4th quarter, respectively. Even if the operations are inevitable beyond 12 months, violator will not be allowed to operate.</td><td>It is proposed that if the operations of the industry are inevitable and violation continues after IInd cycle of default, besides imposition of EC of IIIrd Cycle violator will not be allowed to operate.</td></tr>
</table>

In other instances, i.e. ***d, e and f,*** the environmental compensation may contain two parts – one requires providing immediate relief and other long-term measures such as remediation. In all these cases, detailed investigations are

required from expert institutions/organizations based on which environmental compensation will be decided. In such cases till the detailed study will not carried out by institution, the EC will be collected based on above formulas. Remaining EC will be taken after the study.

In such cases, comprehensive plan for remediation of environmental pollution may be prepared and executed under the supervision of a committee with representatives of SPCB and/or CPCBas approved by Chairman State Board and expert institutions/organizations.

Action Plan for Utilization of Environmental Compensation Fund

The Committee discussed about the utilization of funds, which will be received by imposing Environmental Compensation. The following Action Plan is proposed to utilize the fund for protection of the environment.

When Environmental Compensation is calculated through the Pollution Index:

The amount received by imposing the Environmental Compensation to the industries / organization non-complying with the environmental standards / violating any SPCB's directions shall be deposited in a separate bank account. The amount accumulated will be utilized for Protection of Environment. The following schemes were identified, which may be considered for utilization of Environmental Compensation Fund:

a. Industrial Inspections for compliance verification

b. Installation of Continuous water quality monitoring stations / Continuous ambient air quality monitoring stations for strengthening of existing monitoring network

d. Carrying out for study for Investigations of environmental damages, preparation of DPRs

e. Remediation of contaminated sites

f. Environment Infrastructure augmentation /capacity building of SPCB

The above proposed list may include other schemes also, depending upon the requirement.

Considering the availability of accumulated funds, SPCB will finalize the scheme, keeping in mind the priority, to utilize the funds of Environmental Compensation.

When Environmental Compensation is assessed based on actual damage to the environment by Expert Organization/ Agency:

The amount of Environmental Compensation under this case will be remediation costs, measures requiring immediate and short-term actions, compensation towards loss of ecology, etc., and will be utilized exclusively for the purpose at specific site, based on the detailed investigations by the Expert Organizations/ agencies.

HEAD OFFICE

UTTARAKHAND ENVIRONMENT PROTECTION & POLLUTION CONTROL BOARD
29/20, Nemi Road, Dalanwala
DEHRADUN (Uttarakhand)

उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
29/20 नेमी रोड, डालनवाला,
देहरादून (उत्तराखण्ड)

Ph. 0135-2658086, Fax: 0135-2719092 ; Web: www.ueppcb.uk.gov.in

कार्यालय आदेश

एतदद्वारा राज्य बोर्ड की 17 वीं0 बैठक दिनांक 27.10.2014 में निम्न निर्णय लिया गये हैं–

1. स्थापनार्थ सहमति न लेने वाले स्थापित उद्योगो की पर्यावरणीय दृष्टि से स्थल उपयुक्त होने एवं सभी प्रदूषण
नियंत्रण व्यवस्थाऐं स्थापित होने की दशा में प्रारम्भिक शुल्क तथा उत्पादन की तिथि से एक वर्ष पूर्व से प्रारम्भिक
शुल्क पर 10.00 प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से आवेदन करना होगा। शुल्क की दर, यदि इस बीच बढ़ी
हो, तो नवीनतम दर पर आगणन किया जाएगा। उक्तानुसार आवेदन प्राप्त होने पर ही बोर्ड द्वारा प्रकरण पर विचार
किया जायेगा। उद्योगों को जल/वायु सहमति एवं प्राधिकार संयुक्त रूप से सी0टी0ई0–सी0सी0ए0 निर्गत किया
जायेगा।

2. संचालनार्थ सहमति प्राप्त किये बिना संचालित उद्योगो को संचालन की तिथि से प्रत्येक वर्ष का प्रारम्भिक शुल्क
सहित 10.00 प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज के साथ आवेदन करना होगा। शुल्क की दर यदि इस बीच बढ़ी हो, तो
नवीनतम दर पर आगणन किया जायेगा। तदोपरान्त बोर्ड द्वारा सहमति निर्गत की जाएगी। किन्तु हरित श्रेणी के
उद्योगों पर मात्र 10.00 प्रतिशत साधारण ब्याज लिये जाने का निर्णय लिया गया।

इस सम्बन्ध में बोर्ड मुख्यालय के समस्त अधिकारियों, कार्मिकों एवं क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त निर्णय के अनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू समझा जाये।

भवदीय

(विनोद सिंघल)
सदस्य सचिव

यूईपीपीसीबी/एच0ओ0/17वीं बो0 बै0/सा0–06 /2015/7500-7982 दिनांक 2.02.2015

प्रतिलिपिः

1. अध्यक्ष, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
2. श्री अमरजीत सिंह, पर्यावरण अधिकारी, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
3. वैज्ञानिक अधिकारी, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून/रुड़की/काशीपुर/हल्द्वानी को सूचनार्थ प्रेषित।
5. गार्ड फाईल

वैज्ञानिक अधिकारी (प्रशा0)

संलग्नक–3

UTTARAKHAND ENVIRONMENT PROTECTION & POLLUTION CONTROL BOARD
29/20, Nemi Road, Dalanwala
DEHRADUN (Uttarakhand)

उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
29/20 नेमी रोड, डालनवाला,
देहरादून (उत्तराखण्ड)

Ph: 0135-2658086, Fax: 0135-2718092; Web: www.ueppcb.uk.gov.in

कार्यालय आदेश

एतदद्वारा बोर्ड मुख्यालय के कार्यालय आदेश संख्या यू0ई0पी0पी0सी0बी0/एच0ओ0/17वीं बोर्ड बैठक/सा0–06/2015/7500–1982 दिनांक फरवरी 02, 2015 में निम्न संशोधन किया जाता है।

"जिन उद्योगो के द्वारा स्थापनार्थ सहमति/संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त सहमति रिन्यूवल हेतु 01–02 एवं अधिक वर्षो के उपरान्त सहमति हेतु आवेदन किया जाता है उन उद्योगो पर renewal fee के आधार पर शुल्क लिया जाय। उद्योगों की consent to operate/ consent renewal किसी कारण से refuse होने की दशा मे उद्योगों को प्रथम वर्ष की प्रारम्भिक शुल्क एवं तदोपरान्त renewal शुल्क जमा करना होगा।"

पूर्व में निर्गत कार्यालय आदेश में वर्णित अन्य सभी शर्त यथावत रहेंगी। यह आदेश दिनांक 01.04.2016 से प्रभावी होगें।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदन के उपरान्त जारी किया जा रहा है।

(विनोद सिंघल)
सदस्य सचिव

यू0ई0पी0पी0सी0बी0/एच0ओ0/17वीं बो0बै0/सा0–06/2016/ १९२० – ११७२ दिनांक २१.03.2016.

प्रतिलिपिः–

1. अध्यक्ष, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, को सूचनार्थ प्रेषित।
2. श्री अमरजीत सिंह, पर्यावरण अधिकारी, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, को सूचनार्थ प्रेषित।
3. वैज्ञानिक अधिकारी, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, को सूचनार्थ प्रेषित।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून/रूड़की/काशीपुर/हल्द्वानी को सूचनार्थ प्रेषित।
5. गार्ड फाईल।

18.3.16
वैज्ञानिक अधिकारी(प्रशा0)

5066
31/3/16